



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर धोखाधड़ी करने के आरोपी मौहम्मद हारून को हुआ 02 माह 20 दिन के कारावास व 500 रुपये अर्थदण्ड की सजा।

अवगत कराना है कि वर्ष-2003 में अभियुक्त मौहम्मद हारून पुत्र फारुख निवासी स्यालू नगला थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर द्वारा धोखाधड़ी करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके विरुद्ध थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0-33/2003 धारा 420 भादवि पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 11.09.2024 को मा0 न्यायालय C.J(J.D) एफटीसी जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त मौहम्मद हारून को हुआ 02 माह 20 दिन के कारावास व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है। बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



Baghpat Police



baghpatpolice



@baghpatpolice



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी सोनू उर्फ तरुण को हुई 02 वर्ष के कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त सोनू उर्फ तरुण पुत्र जगमोहन निवासी ग्राम बडागांव थाना खेकडा जनपद बागपत थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 241/2011 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 11.09.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त सोनू उर्फ तरुण को 02 वर्ष के कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



@baghpatpolice



baghpatpolice



Baghpat Police



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक 11.09.2024

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 284/24 धारा 127(2)/204/
309(4)/351(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया
गिरफ्तार, जिसके कब्जे से लूटे हुए 85 घरेलू गैस सिलेण्डर व घटना में प्रयुक्त 01 गाडी
बुलेरो पिकअप बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 10.09.2024 को थाना खेकड़ा पर वादी रमनपाल s/o वीरेन्द्र सिंह निवासी भगत बिहार करावल नगर दिल्ली ने सूचना दी कि दिनांक 08.09.24 को वह अपनी गाडी नम्बर DL1LAL9597 टाटा ऐन्ट्रा में खेकड़ा गैस एजेन्सी से 96 घरेलू गैस सिलेण्डर (इण्डेन गैस) लोडकर ग्राम-डूण्डाहैडा के आस-पास गाँव में डिलीवरी करने जा रहा था तो ग्राम डूण्डाहैडा के पास एक सफेद रंग की पंजाब नम्बर की सेलेरियो कार सवार लोगो ने उसकी गाडी को ओवरटेक कर रूकवा लिया, जिसमें 2 लोगो ने उतर कर जबरदस्ती उसकी गाडी से उसे उतार



लिया और कहाँ कि हम डी-एस-ओ से है और बल पूर्वक उसकी गाडी छीन कर ले गये। इस घटना में 4 लोग सामिल थे । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 284/24 धारा 127(2)/204/ 309(4)/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोतरी की गयी है । 04 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आये है- 1.सतीश पुत्र विजय निवासी समसपुर थाना जाफरपुर कलां दिल्ली हाल पता सी-174 सैक्टर सी-2 ट्रौनिका सिटी गाजियाबाद (गिरफ्तार), 2.अनमोल उर्फ मोनू पुत्र सुनील, 3.सिद्धु पुत्र देवेन्द्र निवासीगण ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर

जनपद बागपत व 4.शुभम पुत्र बिजेन्द्र निवासी अज्ञात । लूटी हुई खाली गाडी दिनांक 08-09-2024 की शाम को थाना खेकडा क्षेत्र के ग्राम शुभानपुर के पास खडी हुई बरामद हुई थी ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी खेकडा महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 284/24 धारा 127(2)/204/ 309(4)/351(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 लूटेरें अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से लूटे हुए 85 घरेलू सिलेन्डर व घटना में प्रयुक्त एक गाडी बुलेरो पिकअप नं० DL1LAM 1071 बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सतीश पुत्र विजय निवासी समसपुर थाना जाफरपुर कलां दिल्ली हाल पता सी -174 सैक्टर सी-2 ट्रौनिका सिटी जनपद गाजियाबाद ।

बरामदगी का विवरण-

- लूटे हुए 85 घरेलू सिलेन्डर ।
- घटना में प्रयुक्त एक गाडी बुलेरो पिकअप नं० DL1LAM1071

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ०नि० श्री रंजीत सिंह थाना खेकडा ।
- 2.उ०नि० श्री अमरदीप सिंह थाना खेकडा ।
3. है०का० 599 सचिन कुमार थाना खेकडा ।
- 4.है०का० 45 अरुण कुमार थाना खेकडा ।
- 5.है०का० 442 मौहम्मद आफाक थाना खेकडा ।
- 6.है०का० 292 सिराज थाना खेकडा ।
- 7.है०का० 652 मोहित कुमार थाना खेकडा ।
8. का० 250 कोमल थाना खेकडा ।
- 9.का० 1008 मिथुन कुमार थाना खेकडा ।



प्रेस नोट

थाना चांदीनगर

दिनांक 11.09.2024

थाना चांदीनगर पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त मोबीन को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

मोबीन पुत्र सलीमुद्दीन निवासी ग्राम गौना थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत

2-है0का0 618 ताराचन्द थाना चांदीनगर जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना चांदीनगर

दिनांक 11.09.2024

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 175/24 धारा
115(2)/352/351(3)/125(1)333 बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस
बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 10.09.2024 को थाना चांदीनगर पर वादी पंकज पुत्र रगबर निवासी ग्राम गढ़ी कलंजरी थाना चांदीनगर ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त सोनिन्द्र पुत्र गजराज निवासी ग्राम गढ़ी कलंजरी थाना चांदीनगर द्वारा वादी के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की तथा जान से मारने की नियत से तमंचे से फायरिंग की। वादी के पीछे कड़ा



लेकर भागते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 175/24 धारा 115(2)/352/351(3)/125(1)333 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 175/24 धारा 115(2)/352/351(3)/125(1)333 बीएनएस में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सोनिन्द्र पुत्र गजराज निवासी ग्राम गढ़ी कलंजरी थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0/यूटी श्री नितिन कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 3- है0का0 378 बलराज सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 4- है0का0 618 ताराचन्द थाना चांदीनगर जनपद बागपत।



थाना बडौत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्त का नाम व पता-

नरेन्द्र उर्फ कालीचरण पुत्र अजब सिंह निवासी ग्राम सैनी थाना इन्चौली जनपद मेरठा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ०नि० श्री राजेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।

2-है०का० 201 विशाल चौधरी थाना बडौत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी

दिनांक 11.09.2024

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 140/24 धारा 115(2)/352/351(2)/109 बीएनएस व धारा 3(2)V एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 10.09.24 को थाना बालैनी पर वादी उपकेन्द्र पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम घटौली थाना बालैनी जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण (1)फिरे पुत्र सूबे, (2)सूबे पुत्र रघवीर निवासीगण ग्राम घटौली थाना बालैनी जनपद बागपत व (3) फिरे का साला नाम



पता अज्ञात द्वारा वादी को जाति-सूचक शब्द इस्तेमाल करते हुए गाली-गलौच करना, वादी के मना करने पर अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की नीयत से मारपीट करना व अभियुक्त फिरे द्वारा वादी के सिर में ईंट से वार कर गम्भीर रूप से घायल करना तथा जान से मारने की धमकी देते हुए भाग जाना । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बालैनी पर मु०अ०सं०

140/24 धारा 115(2)/352/351(2)/109 बीएनएस व धारा 3(2)V एस.सी./एस.टी. एक्ट पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 140/24 धारा 115(2)/352/351(2)/109 बीएनएस व धारा 3(2)V एस.सी./एस.टी. एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सचिन उर्फ फिरे पुत्र सूबे निवासी ग्राम घटौली थाना बालैनी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री मनोज कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत ।

2- का0 884 सर्जन सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बालैनी

दिनांक 11.09.24

थाना बालैनी पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-इमरान पुत्र सत्तार निवासी ग्राम रोशनगढ थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 2-नीरज पुत्र वेदराम यादव निवासी ग्राम हरियाखेडा थाना बालैनी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अनील शर्मा थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री शीलेन्द्र सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 यूटी श्री भुवनेश्वर कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 4-है0 का0 333 सतेन्द्र सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर दिनांक 11.09.2024

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

दिलावर पुत्र जीवन राम निवासी गुराना रोड संगम सिनेमा के पास कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री प्रवीण शर्मा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत
- 2-का0 177 संजीव कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत